न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 17 / 2024 / सरफैसी

यू. जी. आर. ओ. केपिटल लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस इक्यूनोक बिजनेस पार्क टावर –3, 4 फ्लोर ऑफिस बी. के. सी. एल. बी. एस. रोड़ कुरला मुम्बई महाराष्ट्र

बनाम ....**प्रार्थी**

1. मातेश्वरी कंसक्ट्रशन भागपुरा तहसील झाडोल जिला उदयपुर विधिक वारिसान मृतक प्रोपायटर मुकेश तेली, श्रीमती जोनी देवी पत्नी स्व. मुकेश तेली मकान नम्बर 239, संजय गांधी नगर, सेक्टर –8 हिरण मगरी उदयपुर राज. दुसरा पता ग्राम भागपुर, तहसील झाडोल जिला उदयपुर (राजस्थान)
2. श्रीमती जोनी देवी पत्नी स्व. मुकेश तेली मकान नम्बर 239, संजय गांधी नगर, सेक्टर –8 हिरण मगरी उदयपुर राज. दुसरा पता ग्राम भागपुर, तहसील झाडोल जिला उदयपुर (राजस्थान)

............**ऋणी / अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002</u>

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

उपस्थित: श्री दुर्गा सिंह शक्तावत अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 06/02/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि **75,00,000/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद **(ग्राम भागपुरा तहसील झाडोल में स्थित आराजी नम्बर 2782/1157 रकबा 112sq,mt. आराजी नम्बर 2839/1162, 2840/1163, रकबा 2959sq.ft. आराजी नम्बर 2754/1162 रकबा 3225sq.ft. कुल रकबा 7389sq.ft. एवं उक्त सम्पति से सम्बधित समस्त चल अचल सम्पति चतुर्सीमाएंः– पूर्व में –पृथ्वीराज, लालू, राजू एवं कस्तुरीबाई की जमीन, पश्चिम में–आम रास्ता, उत्तर में–आम रास्ता एवं श्री कैलाश का मकान, दक्षिण में–पृथ्वीराज, लालू राजम एवं कस्तुरीबाई की जमीन)** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से

जिला कलक्टर
उदयपुर

नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 18.08.2023 तक 82,10,483/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 75,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक **18.08.2023 तक 82,10,483**/– रूपये वसूल किये जाने हैं। ''दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002'' की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद **ग्राम भागपुरा तहसील झाडोल में स्थित आराजी नम्बर 2782/1157 रकबा 112 sq,mt. आराजी नम्बर 2839/1162, 2840/1163, रकबा 2959sq.ft. आराजी नम्बर 2754/1162 रकबा 3225sq.ft. कुल रकबा 7389sq.ft. एवं उक्त सम्पति से सम्बधित समस्त चल अचल सम्पति चतुर्सीमाएंः– पूर्व में –पृथ्वीराज, लालू, राजू एवं कस्तुरीबाई की जमीन, पश्चिम में–आम रास्ता, उत्तर में–आम रास्ता एवं श्री कैलाश का मकान, दक्षिण में–पृथ्वीराज, लालू राजम एवं कस्तुरीबाई की जमीन)** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावें कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर